

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)()कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./13/ 1383 दिनांक : 22-2-17

आदेश

ग्राम पंचायत, नापासर को नवगठित नगर पालिका बनाये जाने के कारण कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान एवं अन्य दैनिक कार्यों के भुगतान हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों पार्ट प्रथम के नियम 3(ए) के अन्तर्गत श्री जगमोहन हर्ष, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नापासर को एतद्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में अधिकार प्रदत्त कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय के समस्त बिलों का कोषागार व बैंक से लेन-देन करने, वित्तीय नियमों की पालना में रोकड संधारण करना, बजट प्रावधान का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार करने हेतु नियमों की पूर्ण पालना करने तथा समस्त वित्तीय नियमों की पालना करने व अभिलेखों का संधारण करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

sol
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.1(क)()कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./13/1384-90 दिनांक : 22-2-17
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशेषाधिकारी, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलक्टर, बीकानेर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
05. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर।
06. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नापासर।
07. सुरक्षित पत्रावली।

4
(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक